सराड़ा, जिला-उदयपुर

17/2/20

पत्रा. पेश। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली में वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खु.ना.पी. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

[signature]

[illegible] अधिकारी
सराड़ा, जिला उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला–उदयपुर (राज.)

(8)

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 41/2018

उनवान

1 श्री कालु पिता सवजी कलाल उम्र वयस्क निवासी वीरपुरा तहसील सराडा जिला उदयपुर (राज.) के बजाय–

1/1 मु. कशीबाई बेवा कालुजी उम्र–वयस्क, निवासी–वीरपुरा, तहसील–सराडा जिला–उदयपुर (राज)

1/2 श्रीमती शान्ती पुत्री कालुजी पत्नी श्री देवजी कलाल, उम्र–वयस्क, हालनिवासी–डाल, तहसील– सलुम्बर जिला–उदयपुर (राज)

1/3 श्रीमती नर्बदा पुत्री कालुजी पत्नी श्री शंकरजी कलाल, उम्र–वयस्क, हालनिवासी–पीलादर, तहसील– सराडा, जिला–उदयपुर (राज)

2 श्री भेरा पिता सवजी कलाल, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरपुरा, तहसील–सराडा जिला–उदयपुर (राज) के बजाय–

2/1 मु. लाली बेवा भेराजी कलाल, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरपुरा, तहसील– सराडा जिला–उदयपुर (राज)

2/2 बंशीलाल पिता भगुजी कलाल उम्र–वयस्क, निवासी–वीरपुरा, तहसील– सराडा जिला–उदयपुर (राज)

2/3 भंवरलाल पिता भगुजी कलाल, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरपुरा, तहसील– सराडा जिला–उदयपुर (राज)

3 नवली बेवा स्व. भगु कलाल, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरपुरा, तहसील –सराडा जिला उदयपुर (राज)

– प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री डुंगरसिंह पिता खुमाणसिंह जी राजपुत, उम्र–वयस्क, निवासी–कन्तौडा तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर (राज)

2 श्रीमती शोभा कुंवर पत्नी श्री डुंगर सिंह राजपुत, उम्र–वयस्क, निवासी–कन्तौडा, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर (राज)

3 श्रीमती वेलुदेवी पत्नी श्री नाथुजी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी–वीरपुरा, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर (राज)

4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराडा तहसील सराडा जिला उदयपुर (राज)

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

बजरिये श्री दिनेषचन्द धाकड आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं. 41/2013
प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

::: निर्णय :::

दिनांकः 17.02.2020

❖ **उपस्थितिः–**

1. **श्री गजेन्द्र चौबीसा अभिभाषक प्रार्थीगण।**

संक्षेपतः– प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि मौजा कन्तौडा पटवार वीरपुरा तहसील सराडा मे आराजी नम्बर 3,5,6,7,15,8,14 कुल किता 07 एवं कुल रकबा 1.1800 हैक्टेयर जिसके साबिक अराजी नम्बर 3/1,3/2,4 कुल किता 03, रकबा 5, बीघा 7 बिस्वा थे। उक्त कुलिया आराजी भूमि का कुलिया रकबा प्रार्थीगण ने विपक्षी नम्बर 1 एवं 2 से तारीख 20/04/1990 को क्रय की है जिसके फलस्वरूप विपक्षी नम्बर 1 एवं 2 ने प्रार्थीगण के पक्ष मे तारीख 20/04/1990 को बादग्रस्त आराजीयात भूमि का विक्रय–पत्र निष्पादित कर उप–पंजियक कार्यालय सराडा के यहां प्रार्थीगण के पक्ष मे विक्रय पत्र का पंजियन करा सिपुर्द कर दिया। साबिक आराजी नम्बर के हाल नम्बर मे से आराजी नम्बर 3,5,6,7,15 कुल किता 05 रकबा 1.0600 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दी तथा आराजी नम्बर 8, 14 कुल किता 02 रकबा 0.1200 हेक्टेर भूमि पूर्व खातेदार विपक्षी नम्बर 1 एवं 2 के नाम पर ही रह जाने से विपक्षी नम्बर 1 एवं 2 का मात्र राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे नाम दर्ज होने से गलत नियत से विपक्षी 1 व 2 ने विपक्षी 3 के पक्ष मे आराजी नम्बर 8,14 कुल किता 02 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि का तारिख 27/05/2013 को विक्रय पत्र निष्पादित कर उप पंजियक कार्यालय सराडा के यहा विकंय–पत्र पंजियन करा दिया। राजस्व कर्मचारीयो के गलती से जरियो रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 15 प्रार्थीगण के नाम स्वीकृत होने के बावजुद हाल नम्बर 8, 14 कुल किता 02 रकबा 0.12 हे भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही की है। इसलिए प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेष करना पडा।

प्रार्थी ने प्रार्थना की कि प्रार्थी की आराजी नं 8 एवं 14 कुल किता 02 रकबा 0.1200 हे को दौराने का दावे के निर्णत तक विपक्षी नम्बर 3 के पक्ष में नामान्तरण नही स्वीकृत करे एवं प्रार्थी को काश्त करने या आने जाने में व्यवधान उत्पन्न न करे।

उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

(10)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेषचन्द धाकड आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं. 41/2013
प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.10.2015 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 17.02.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 24.07.2013 को जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा ग्राम कन्तौडा पटवार हल्का वीरपुरा तहसील सराडा आराजी नं. 8 रकबा 0.05 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 14 रकबा 0.07 हेक्टेयर आराजी में विपक्षीगण राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेषचन्द धाकड)
उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला-उदयपुर

Scanned with CamScanner